डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020 जयपुर, दिनांक : 01.04.2020

गेहूं आवंटन आदेश अप्रेल, 2020
(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत)
(खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 7–1/2019(ii)–बी.पी.–III, दिनांक 30.03.2020 एवं मेमोरेण्डम क्रमांक 7–1/2019(i)–बी.पी.–III, दिनांक 30.03.2020 के क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित) राशनकार्डधारियों को **05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क** वितरित किये जाने बाबत पात्रतानुसार माह अप्रेल, 2020 हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न(गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह अप्रेल, 2020 के पेटे गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)			
श्रेणी	शीर्षक	दर	मात्रा
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क	05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क	05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति

नोटः– भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव 30.04.2020 से पूर्व किया जाना है तथा इसका वितरण भी माह अप्रेल, 2020 में ही किया जाना है।

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 30.03.2020 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह अप्रेल, 2020 का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकानों को गेहूं की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी–अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी) के राशनकार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

Scanned with CamScan

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा ''सेन्ड टू पोस'' हो जायेगी।

7– जिलेवार खाद्यान्न(गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूं का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर –

(अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर(रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाए।

(ब) गेहूं का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) में गेहूं के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Sd

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

कमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018–II जयपुर, दिनांक : 01.04.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग को भेजकर लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समस्त श्रेणीयों के लाभार्थीयों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना हैं। अतः तदानुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करने का श्रम करें।

03. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।

04. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

05. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।

06. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।

Scanned with CamScanner

07. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को भेजकर लेख है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समस्त श्रेणीयों के लाभार्थीयों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना हैं। जिसके तहत योजना में चयनित अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए 13,947.145 मैट्रिक टन तथा अन्य पात्र लाभार्थीयों हेतु 2,09,352.655 मैट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। कृपया आवंटन अनुसार उठाव सुनिश्चित करवायें। उक्त योजना के लाभार्थियों की श्रेणीवार उपलब्ध वास्तविक संख्या भारत सरकार को पृथक से भिजवाई जा रही हैं।

08. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।

09. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माह अप्रेल, 2020 हेतु आवंटित गेहूं की मात्रा का निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर नियत वैधता अवधि में उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करावें।

10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

11. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-1

Additional Wheat Allotment for April-2020

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Net Allotment (M.T.)
		NFSA AAY Allotment (M.T.)	NFSA BPL Allotment (M.T.)	NFSA SBPL Allotment (M.T.)	NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	403.340	1329.580	528.105	5689.601	7950.626
2	Alwar	479.910	1953.815	671.745	9660.417	12765.887
3	Banswara	1036.945	3106.735	952.535	2952.730	8048.945
4	Baran	980.815	1132.965	260.595	2533.774	4908.149
5	Barmer	498.690	3030.395	478.155	5033.855	9041.095
6	Bharatpur	396.265	1813.460	441.040	5265.431	7916.196
7	Bhilwara	522.385	2160.830	715.420	4369.198	7767.833
8	Bikaner	272.575	2647.970	590.375	3284.796	6795.716
9	Bundi	263.785	925.000	276.090	2299.339	3764.214
10	Chittaurgarh	577.090	1240.785	759.950	2306.667	4884.492
11	Churu	540.385	2328.650	493.335	3509.879	6872.249
12	Dausa	240.255	1394.800	211.635	3846.082	5692.772
13	Dhaulpur	226.865	970.470	204.500	2951.982	4353.817
14	Dungarpur	728.230	3202.680	453.745	2179.054	6563.709
15	Ganganagar	210.995	1702.725	199.485	3559.755	5672.960
16	Hanumangarh	285.960	1260.135	225.400	3213.938	4985.433
17	Jaipur	294.600	2080.820	668.685	11818.449	14862.554
18	Jaisalmer	141.950	617.240	157.495	1190.991	2107.676
19	Jalor	541.250	1877.410	408.370	3243.181	6070.211
20	Jhalawar	358.110	1493.655	377.745	3259.585	5489.095
21	Jhunjhunun	216.855	675.235	258.730	5167.894	6318.714
22	Jodhpur	206.750	2309.840	267.250	7697.217	10481.057
23	Karauli	419.785	1985.350	391.180	2258.444	5054.759
24	Kota	203.270	1463.235	233.110	3064.701	4964.316
25	Nagaur	395.150	1748.255	472.285	8826.891	11442.581
26	Pali	431.305	1724.085	446.870	4038.311	6640.571
27	Pratapgarh	290.085	1461.345	362.650	1568.750	3682.830
28	Rajsamand	427.105	1264.585	340.335	2368.835	4400.860
29	Sawai Madhopur	343.140	1093.485	407.150	2484.643	4328.418
30	Sikar	195.425	1020.580	227.430	7133.687	8577.122
31	Sirohi	239.745	801.760	256.980	2569.236	3867.721
32	Tonk	406.820	1137.465	485.005	3059.964	5089.254
33	Udaipur	1171.310	4849.155	1040.405	4877.098	11937.968
	Total	**13947.145**	**57804.495**	**14263.785**	**137284.375**	**223299.800**

Scanned with CamScan